1504 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am very much grateful to all the 20 hon. Members who have participated in the debate. It has been a very lively debate. Some very important points were flagged off. It also gives me an opportunity to place before the august House the need for the Ordinance, how we have acted with alacrity and how this Government has fulfilled its obligations to the people of India whose interest is our bounden duty to protect.

(z2/1505/rps-spr)

जब 25 अगस्त, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें कोल ब्लॉक्स के आवंटन को अवैध घोषित किया गया और 24 सितंबर, 2014 को 204 ब्लॉक्स के आवंटन को कैंसिल किया गया, उस समय पूरे देश में ऐसी स्थिति थी जिसमें लोगों को लगता था कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ गयी है। देश के सामने इतना बड़ा संकट है, बिजली के कारखाने बंद हो जाएंगे, लोगों की जॉब्स नहीं रहेंगी, जो लाखों कर्मचारी इन खदानों में काम करते हैं, उनका क्या होगा, बैंकों के जो लाखों-करोड़ों रुपये इन प्रोजेक्ट्स में लगे हैं, उनका क्या होगा। एक तरह से यह अनिश्चितता बहुत तकलीफ दे रही थी और देश में संकट के आसार थे। ऐसी परिस्थिति में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने तुरंत कदम उठाए, दिन-रात लगकर एक आर्डिनेंस कैबिनेट ने 20 अक्टूबर को पास किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में कोयले की खदानों में जितने कामगार हैं, उनका प्रोटेक्शन हो। ये खदानें बन्द न होने पाएं, इन खदानों के चालू रहने से उनकी नौकरियां न खराब हों। साथ ही, इस देश में कोयले की कमी है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, आज भी लाखों-करोडों रुपये का कोयला विदेश से आता है जबकि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोल रिजर्व है। यह एक तरीके से शर्मनाक बात है। कोल इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। कई वर्षों से एक-डेढ़ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो रही है, उस परिस्थिति में कोयले की खदानें चलती रहें, नौकरियां बचें और देश में बिजली की कटौती न हो, इसके लिए यह अध्यादेश लाना बहुत जरूरी था। सम्मानीय सदन जानता है कि संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत आर्डिनेंस को बिल से रिप्लेस करना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए आज यह बिल सदन के सामने पेश किया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इसे स्थायी समिति के पास जाना चाहिए। यह आर्डिनेंस कई दिनों से चर्चित है, कई पेपर्स में

इसके बारे में लेख आए हैं, काफी चर्चा विशेषज्ञों ने की है। वास्तव में अभी तक इस आर्डिनेंस का कोई प्रावधान पब्लिक डोमेन में, इंडस्ट्री में और बैंकों में क्रिटिसाइज नहीं हुआ है। वास्तव में, जब विपक्ष के नेताओं ने भी मुझसे इसके बारे में चर्चा की, कोई ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं हुआ कि इसमें किसी प्रकार से सरकार ने कोई गलत प्रावधान रखा है या कोई ऐसा प्रावधान किया हो जिससे हमारे पास कुछ डिसक्रिशन हो या गलत करने की कोई संभावना हो। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि सरकार की भूमिका इस अध्यादेश को लाने में और आज इस बिल को पेश करने में, कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन की पूरी प्रोसेस में पारदर्शिता लाने की है। उस पारदर्शिता को लाने के लिए इस बिल में बहुत से कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 204 ब्लॉक्स कैंसिल किए, उनमें कई ब्लॉक्स सरकारों को दिए गए थे, कई ब्लॉक्स प्राइवेट पार्टीज को दिए गए थे। ये सभी ब्लॉक्स निशुल्क दिए गए थे। निशुल्क देने से एक तरीके से इंट्रेस्ट क्रिएट हुआ और एक विन्ड-फाल प्रॉफिट कमाने का उनको साधन मिला। उस साधन को इस बिल के द्वारा हमने समाप्त किया है। आज के बाद जो भी खदानें दी जाएंगी, जो खदानें सरकारी कंपनियों को दी जाएंगी, उनके लिए एक रिजर्व प्राइस होगा। अगर खदान पब्लिक में ऑक्शन होगी, जिसे ई-ऑक्शन के द्वारा किया जाएगा तो वह पैसा अधिकतर राज्य सरकारों के पास जाएगा और बाकी बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को पास-ऑन होंगे। मैं इस सदन में बहुत हर्ष से कहना चाहूंगा कि ई-ऑक्शन की जो प्रोसेस डिवाइज की गयी है, उसमें बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन कीमतें घटने का प्रोसेस हमने तैयार किया है। सदन को यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो पावर सेक्टर रेगुलेटेड सेक्टर है, उसमें ऑक्शन रिवर्स बिडिंग के माध्यम से होगा। जिस दिन ऑक्शन हो रही है, उस दिन कोल इंडिया की प्राइस को बेस मानकर कंपनियां उससे कम दाम पर हमें बिजली देंगी। इस प्रकार की ऑक्शन की प्रक्रिया तैयार की गयी है जिससे कंज्यूमर्स को जो बिजली खरीदना पड़ती है, उसका दाम कम होगा और लोगों में जो डर था कि ऑक्शन के बाद दाम बढ़ सकते हैं, उसका हमने पूरे तरीके से समाधान किया है।

(a3/1510/har/ksp)

साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ, लेबर की जॉब न जाए, उसकी निरंतरता के लिए यह प्रावधान, जल्दी से आर्डिनेंस और अब बिल के रूप में लाए, जिससे माइन्स 31 मार्च के बाद भी चलती रहें। माननीय कोर्ट ने 31 मार्च तक की अवधि दी थी और .यह समय मात्र 6 महीने का था। इन 6 महीनों के अंदर, भारत के इतिहास में इतना बड़ा कानून, इतनी सारी कठिनाइयों से गुजर कर बनाना यानी माइन्स को भी चलाना, बिजली का उत्पादन कम न होने देना, कोयले का उत्पादन बढ़ाना और जनता की सेवा करने के लिए यह ऐतिहासिक कानून सदन पास करने जा रहा है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करुंगा कि इसे सर्व-सम्मति से हम पास करें, जिससे देश में मैसेज जाए कि पूरा सदन ट्रांसपेरेंसी के प्रति प्रतिबद्ध है,

पूरा सदन लेबर के इंट्रेस्ट के प्रति प्रतिबद्ध है, पूरा सदन पूर्वी राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिनको इससे सबसे ज्यादा लाभ होगा, सबसे ज्यादा उन्हें पैसा मिलेगा। पूरा सदन चाहता है कि इस देश के हर घर और उद्योग को बिजली 24 घंटे और सातों दिन मिले, सस्ती मिले और अच्छी क्वालिटी की मिले।

कई बार इस सदन में वर्कर्स सैफ्टी, वर्कर्स इंट्रेस्ट की चर्चा होती है। मैं बताना चाहूंगा कि हरेक प्रावधान में, हरेक विषय के ऊपर क्लाजेज नहीं बनाए जाते हैं, ना सैक्शन लिखे जाते हैं। माइन्स एक्ट, 1952 आज भी देश का कानून है, जिसमें कर्मचारियों के लिए सैफ्टी और सिक्योरिटी के प्रावधान हैं। भारत का कानून जो लेबर सैफ्टी और सिक्योरिटी के विषय में है, वह सर्व-प्रथम सर्वमान्य रहता है और यह कानून माइन्स के संबंध में, सबका इंट्रेस्ट प्रोटैक्ट करता है। बाकी मिनिमम वेजेज एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ईएसआई एक्ट भी इस देश में कायम हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने बात की कि डि-नेशनलाइज किया जा रहा है। मैं आज सुबह ही देख रहा था कि डि-नेशनलाइज का मतलब क्या है? रेंडम-हाउस डिक्शनरी देखें तो denationalise is to remove an industry from Government ownership or control. ब्रिटिश डिक्शनरी कहती है, denationalise is to return or transfer from public to private ownership. अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस बिल में ऐसा कौनसा प्रावधान है, जिसमें कोई भी वस्तु सरकारी स्वामित्व से प्राइवेट हाथों में देने की बात है। हमने कोल-इंडिया लिमिटेड को पूरे तरीके से संरक्षण दिया है। कोल इंडिया लिमिटेड, गत चार-पांच वर्षों में मात्र एक-डेढ़ प्रतिशत प्रोडक्शन बढ़ाता रहा है, लेकिन हमारी सरकार के जून में आने के बाद, कोल-इंडिया का प्रोडक्शन, जून-अक्टूबर के बीच साढ़े-सात प्रतिशत बढ़ा है, सप्लाई साढ़े-आठ प्रतिशत बढ़ी है और कोयले से बिजली का उत्पादन, जून-जुलाई-अगस्त में 21 प्रतिशत बढ़ा, जिसने इस देश में इतिहास रचा है। जून से अक्टूबर तक देखें तो 15 प्रतिशत से अधिक कोयले से बिजली का उत्पादन हुआ है। अगर किसी के भी मन में डि-नेशनलाइजेशन की कल्पना है तो उसे निकाल दीजिए। सरकार कोल-इंडिया को और मजबूत करना चाहती है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक-बिलियन टन का टार्गेट कहां से पूरा होगा? मुझे लगता है उन्होंने ठीक से मेरी बात को नहीं सुना। उनके ध्यान में था कि कोल-इंडिया 200 मिलियन टन बढ़ाएगा, निजी क्षेत्र 200 मिलियन टन बढ़ाएगा आदि-आदि। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जब तक हम बड़ी सोच न रखें, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। माननीय यादव जी ने कहा कि मोदी जी की छप्पन इंच की छाती है, उस छप्पन इंच की छाती को लेकर ही हमने एक-बिलियन टन का लक्ष्य कोल-इंडिया के लिए रखा है।

(b3/1515/mm/rcp)

कोल इंडिया अकेले एक बिलियन टन कोयला बना सकता है। कोल इंडिया में इतनी ताकत है, वह इतना सक्षम है। सरकार को पूरा विश्वास है कोल इंडिया के कर्मचारियों पर, उनकी काबिलियत पर और जो गत वर्षों में कमी रही है, कोल प्रोडक्शन को बढ़ा कर हम अगले चार-साढ़े चार वर्षों में उसको पूरा करेंगे। दो सौ से अधिक माइन्स ऐसी हैं जिनको कोल इंडिया ने नहीं खोला है। आज तकनीक दुनिया में कहां से कहां पहुंच गयी है, लेकिन कोल इंडिया उसका इस्तेमाल नहीं कर पायी है। कामगारों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान इतने वर्षों से नहीं रखा गया था। इस सरकार ने इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दिया है। कोल इंडिया का एक बिलियन का टारगेट है, जिसमें रेलवे लिंकेंजिस लाकर दो सौ मिलियन टन बढ़ सके, नई खदानें खोल कर डेढ़-दो सौ टन बढ़ सके और आज जो खदानें चल रही हैं, उनमें नयी तकनीकों का इस्तेमाल करके डेढ़-दो सौ मिलियन टन कर सके। इस तरह से कोल इंडिया अकेले एक बिलियन टन बना सकता है। साथ ही साथ इन 204 माइनों को खोलना।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि पांच-सात-आठ साल लगते हैं, वह आपके राज्य में लगते होंगे, आपकी सरकार में लगते होंगे। हमारी सरकार में हर एक परमिशन चाहे वह पर्यावरण की हो, चाहे माइनिंग क्लीयरेंस हो, वह ईमानदारी से दी जाती है। बिना डिसक्रिशन के ट्रांसपैरंट मेथड से दी जाती है और जल्दी दी जाती है। जिससे ये खदानें देश की सेवा में जल्द से जल्द आ सकें। उसी क्रम में इन्होंने टाइम टेबल की बात की है। हमने इसके लिए अपने लिए बड़े स्ट्रिक्ट मापदंड रखे हैं। हमारी सरकार अपने ऊपर टाइम टेबल के मापदंड रखती है और हर एक टाइम टेबल को हम मीट कर रहे हैं। हमने कोल माइन्स के रूल्स ऑलरेडी नोटिफाई कर दिए हैं। ऑर्डिनेंस के तहत जो रूल्स होने थे, वे 11 दिसम्बर को नोटिफाई हो गए हैं।

तथागत जी ने कहा कि रूल्स के माध्यम से क्यों? लॉ के माध्यम से क्यों नहीं? रूल्स की इम्पोर्टेन्स इसलिए रहती है कि डायनेमिक सिचुएशन में कई बार आपको समय के हिसाब से बदलते रहना होता है। छोटी-छोटी बातों के लिए सदन के सामने हर बार कानूनी प्रावधानों को बदलना ठीक नहीं है। 6 दिसम्बर को बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सब मिले थे। उन्होंने संविधान प्रोवाइड किया है। रूल्स ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो लोक सभा प्रोवाइड करती है कि वे भी रूल्स हैं, वे सदन के सामने रखे जाते हैं। सम्माननीय सदस्यों को उन पर गौर करने का मौका मिलता है और अगर रूल में कोई आपत्तिजनक चीज हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जो पूर्वी राज्यों के इलाके हैं, इससे लाखों-करोड़ों रुपयों का उन्हें लाभ पहुंचने वाला है। झारखण्ड में सबसे ज्यादा खदानें हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को लाखों रुपये रॉयल्टी और ऑक्शन से मिलेंगे। कुछ

सदस्यों ने कहा कि यह हमारा हक है। लेकिन आपने पूछा कि प्रावधान में क्यों नहीं लिखा गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रावधान के क्लॉज 6 में हमने प्रोवाइड किया है कि यह पैसा डायरेक्ट स्टेट को जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं उसके अग़ज़ैक्ट अंश को पढ़ देता हूं-

> "The Central Government shall act through the nominated authority for the following purposes,…."

और धारा ई में है-

> "collection of auction proceeds, adjustment of preferential payments and transfer of amount to the respective State Governments where Schedule I coal mine is located in accordance with the provisions of this Act."

हर तरीके से हम इस बिल के माध्यम से पूर्वी राज्यों को, कामगारों को और इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इस बिल को लाए हैं। हमने कहा है कि कुछ छूट दी जाएगी कि कोयला आगे चल कर मार्किट को क्लीन करे और ईमानदार बनाएं। इसके लिए सबसे पहले एंड यूज़ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। राज्यों और सीपीएसयूज़ को सबसे पहले कोयले की खदाने दी जाएंगी, जिनको एंडयूज़ रिक्वायरमेंट हैं।

(c3/1520/asa/rp)

दूसरा ऑक्शन किया जाएगा और जिनके प्लांट तैयार हैं, जो आज कोयले के लिए भूखे हैं, उन स्टेटस को दिया जाएगा जो आगे चलकर पॉवर, स्टील के प्लांट लगाना चाह रहे हैं। चौथा ऑक्शन उनको दिया जाएगा कि जो एंड यूज प्लांट्स फ्यूचर में आने वाले हैं, उसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो देश की गरीब जनता जो आज ब्लैक में कोयला खरीदती है, जो कोयला 1-2-3 रुपये होना चाहिए, उस कोयले को देश की गरीब जनता, देश के लाखों परिवार चूल्हे के लिए 30 रुपये पर खरीदते हैं, उनको वह मिले। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, छोटे बॉयलर्स, भट्टों वाले, फैक्टरी वालों को कोयला मिलना चाहिए। उसके लिए अगर थोड़ी-बहुत माइन्स ऑक्शन द्वारा जाती हैं तो उस ऑक्शन का पैसा पूर्वी इलाकों को मिलता है। जो कोयले में काला धंधा चलता है, वह पूरी तरह से बंद हो और लोगों को यह कोयला सही दाम पर मिले, जनता की सेवा करने के लिए हमने वह प्रावधान रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने बिल पेश करता हूं। इस बिल में दो क्लाजेज में फाइनेंशियल इम्पलीकेशन है। Clause VI, which provides for the appointment of the nominated authority and Clause XV, which provides for the appointment of

Commissioner of Payments. Due to oversight, these Clauses, having financial implications, are not in a bold font. That is a minor thing that it is not in a bold form. बोल्ड फॉम में नहीं है। बाकी बिल एकदम सही है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हम इस बिल को सर्व सम्मति से पारित करें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : उपाध्यक्ष जी, इस बिल के बारे में पूरी चर्चा यहां हुई है और उसमें क्या खामियां हैं तथा उनको कैसे दुरुस्त करना है, इसके लिए हमारी पार्टी की ओर से और विरोध पक्ष से भी बहुत से नेतागणों ने इसके बारे में बताया है। लेकिन कुछ गलतफहमियां भी इस सदन में हुई हैं और खासकर मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं क्योंकि आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं क्योंकि यह हमेशा रहा है कि कभी भी कुछ बोलना है तो यदि पिछली सरकार का कुछ अच्छा है तो सारा आपका है और यदि उसमें कछ खराबियां निकलीं तो सारा यू.पी.ए. सरकार ने कर दिया।...(व्यवधान) यह बात यहां पर भी हो गई है।...(व्यवधान) गलत क्या है, सच क्या है, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं:

> "The Supreme Court's ruling on coal block allocation, reminding the ruling party that there was an NDA Government for six years between 1998 and 2004." … (*Interruptions*)

इसको तो आप मानते हैं न?

> "The SC verdict had once again brought out what was said in a Standing Committee Report earlier, which had concluded that transparency was not maintained in coal block allocations since 1993."… (*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : यह तो कांग्रेस का बनाया हुआ है।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : दुबे जी, इतना डिफेंड करके भी आपको फ्रंट पर सीट नहीं मिल रही है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Kharge ji, we have to pass this Bill before 3:30 p.m. So, try to be very brief.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, I will just conclude.

> "In the period between 1993 and 2009, the NDA also had a Government led by Atal Bihari Vajpayee between 1998 and 2004. The policy of coal block allocation followed by the NDA was continued during the UPA regime," … (*Interruptions*)

Then further, it says:

> "It was UPA Prime Minister Manmohan Singh who started to issue advertisements for coal block allocation, which had not happened from 1993 to 1998. A screening committee at the State level was also set up then. " … (*Interruptions*)

Therefore, between 2004 and 2009 was the same as was being followed between 1993 and 2004. … (*Interruptions*) If the Supreme Court has come to a conclusion with regard to the entire period between 1993 to 2009 and the conclusion is uniform in nature, उसमें आपका भी है, इसीलिए आप वही फोलो करते आए हैं। पिछली सरकार के ऊपर बार बार आप आरोप लगाते हैं। ...(व्यवधान) कोल मिनिस्टर ने यह कहा कि मोदी साहब की 56 इंच की छाती है और बड़ी है। अरे, 56 इंच की छाती है लेकिन दिल छोटा है।...(व्यवधान) इसीलिए हम बोल रहे हैं।

(d3/1535/lh-bks)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri C.N. Jayadevan – not present.

I shall now put the Statutory Resolution moved by Shri C.N. Jayadevan to the vote of the House. The question is:

> "That this House disapproves of the Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 (No.5 of 2014) promulgated by the President on 21 October, 2014."

The motion was negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to provide for allocation of coal mines and vesting of the right, title and interest in and over the land and mine infrastructure together with mining leases to successful bidders and allottees with a view to ensure continuity in coal mining operations

and production of coal, and for promoting optimum utilization of coal resources consistent with the requirement of the country in national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

"Page 3, for line 48, *substitute,*—

"(iii) requirement of coal washeries;"." (4)

"Page 4, lines 5 and 6, *omit,*—

"the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973"." (5)

Sir, I do not want to ask for separately moving the amendments and for asking Division. We are in a hurry to pass the Bill. All I would ask the hon. Minister is to correct the language in the Bill.

Please see page no. 4 - Chapter II - 4 (b). Totally the language is wrong. Again, in 4 (4), regarding prior allottees, you may please see and correct the language. Please have a proper look at 4 (2) (a) and (b), and then there is a sentence. There is no link between the two sentences.

SHRI PIYUSH GOYAL: I will have it looked into. … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I thought that you would study the Bill more carefully but the language needs to be corrected.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment nos. 4 and 5 to Clause 3 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Satpathy, are you moving your amendment no. 25?

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I just wanted one small clarification from the hon. Minister. Then only I will be able to say whether I will move my amendment or not.

HON. DEPUTY SPEAKER: You have to move your amendment first and then only you can speak.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I am moving my amendment. I beg to move:

"Page 3, *omit* line 48." (25)

Sir, I just wanted to know what is his decision about making the washery person as the end-user. That is one thing. There is a slight mistake. Please see page no. 33. There is an explanation, which reads:

> "Explanation.—In case a mining lease has been executed in favour of a third party, subsequent to such allocation of Schedule I coal mines, then, such third party shall also be deemed to be the prior allottee."

There is no third party here. All the parties are first parties, whether it is the West Bengal State Electricity Board or the Odisha Mining Corporation. There is an ambiguity in this.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I will just explain both the things very briefly.

As regards washing of coal, it is not an end-use but it is a process in between. The Coal Mines Nationalization Act identified washing as an end-use. Therefore, it has come in here also. We have no intention to give only washeries the coal. It will go to the end-use and then it will be … (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Then, delete it.

SHRI PIYUSH GOYAL: It is continuing from nationalization, 1973. But I am giving you an assurance that there is no plan to give any mines to washeries. The mines are given for the end-use and the end-users may go through the washery for washing.

As regards your point on third party, in some cases the States have done joint ventures, where a new company has got created. That becomes a third party and the mining lease is in their name. Therefore, we have included them so that they are bound to pay the additional levy, as per the Supreme Court direction. Otherwise, the State Governments would have a problem. It is to protect the State Governments.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment no. 25 to Clause 3 moved by Shri Thathagata Satpathy to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving your amendment nos. 6 and 7?

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I am not moving my amendments. We have committed yesterday to pass this Bill today.

(e3/1530/kkd/gg)

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Sir. I beg to move:

"Page 4, lines 23 and 24,—
for "either for own consumption, sale or for any other purpose",
substitute "for own consumption"." (11)

"Page 4, line 31,—
after "coal mining operations",
insert "for own consumption for specified end use"." (12)

"Page 4, line 36,—
after "whose application",
insert "for coal blocks for specified end use"." (13)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 11, 12 and 13 moved by Shri M.B. Rajesh to vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, after passing this Bill, we will take up the Private Members' Business.

Clause 5

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Sir. I beg to move:

"Page 5, line 13,—
for "either for its own consumption sale or for any other purpose",
substitute "for its own consumption"." (14)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No 14 moved by Shri M.B. Rajesh to vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.

Clause 8

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. M.B. Rajesh, are you moving your Amendment Nos. 15 to clause 8?

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): No, Sir, I am not moving my Amendment No. 15 to clause 8.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clauses 9 to 13 were added to the Bill.

Clause 14

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. M.B. Rajesh, are you moving your Amendment No 17 to clause 14?

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): No, Sir, I am not moving my Amendment No. 17 to clause 14.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 14 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 14 was added to the Bill.

Clause 15

HON. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving your Amendment No. 8 to clause 15?

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): No, Sir, I am not moving my Amendment No. 8 to clause 15.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 15 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 15 was added to the Bill.

Clause 16

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Tathagata Satpathy, are you moving your Amendment No. 26 to clause 16?

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): No, Sir, I am not moving my Amendment No. 26 to clause 16.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 16 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 16 was added to the Bill.

Clauses 17 to 19 were added to the Bill.

Clause 20

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. M.B. Rajesh, are you moving your Amendment No 18 to clause 20?

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): No, Sir, I am not moving my Amendment No. 18 to clause 20.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 20 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 20 was added to the Bill.

Clauses 21 to 23 were added to the Bill.

Clause 24

HON. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving your Amendment Nos. 9 and 10 to clause 24?

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): No, Sir, I am not moving my Amendment Nos. 9 and 10 clause 24.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 24 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 24 was added to the Bill.

Clauses 25 to 33 were added to the Bill.

Schedules I to III were added to the Bill.

Schedule IV

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. M.B. Rajesh, are you moving your Amendment Nos. 19 to 24 to Schedule IV?

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): No, Sir, I am my moving my Amendment Nos. 19 to 24 to Schedule IV.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Schedule IV stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Schedule IV was added to the Bill.

Clause 1

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Sir, I beg to move:

"Page 1, line 5,—
for "(2) It extends to the whole of India.",

substitute "(2) It extends to the whole of India except the tribal areas mentioned in the Sixth Schedule to the Constitution."" (3)

Sir, the land tenure system in Meghayala in the VI Schedule is totally different from the mainland. I want an assurance from the Minister whether they have any intention to disturb the present mining in Meghalaya. If the hon. Minister can give the assurance I will withdraw my Amendment.

SHRI PIYUSH GOYAL: I will examine the matter, in detail and get back.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No 3 moved by Shri Vincent H. Pala to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula was added to the Bill.

Preamble

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir. I beg to move:

"That in the second part of the Preamble,—
for "energy security"
substitute "power requirements"." (1)

""That in the second part of the Preamble,—
for "core sectors"
substitute "end users"." (2)

Sir, I will withdraw it if the Minister again reassures the House that there will be no denationalization of the Coal India Limited.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I have already said it on the floor of the House that we are in fact strengthening the Coal India Limited. About the denationalization, I just read out its definition, which says, when you transfer ownership and management control to the private sector. We have absolutely no such plans at all.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 1 and 2 moved by Prof. Saugata Roy to vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Preamble stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Preamble was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

(f3/1535/mmn-cs)

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.